



24/11/91
Prakash
175
7.50

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र० प्र० ----- नि० 1025/91
१९९१

11
17.5.91
3 20 PM
22/10 24/10
17/5/91

7-I
1.6.91
1/6/91

बबुलशकूर पिता बबुलमजीद मुत द्वारा वारिसान
१- जेबुननिशा विधवा बबुलशकूर बायु ६२ वर्ष
२- शेरवफरोज पिता बबुलशकूर बायु २८ वर्ष
३- लतिक उज्जमा पिता बबुलशकूर बायु ४० वर्ष
४- रफीक उज्जमा पिता बबुलशकूर बायु ३५ वर्ष
५- शफीक उज्जमा पिता बबुलशकूर बायु ३० वर्ष
६- अतिक उज्जमा पिता बबुलशकूर बायु २८ वर्ष
समस्त निवासीगण मेरनाला उज्जैन म०प्र०

-- प्रार्थी अवेदकाण
विरुद

पीरा पिता पोसर बलार्द मुत द्वारा वारिसान

१- मांगीलाल पिता पीराजी बायु ५० वर्ष
२- रामचन्द्र पिता पीराजी बायु ४५ वर्ष
३- लज्जाना रायण पिता पीराजी बायु ४२ वर्ष
४- रतनलाल पिता पीराजी बायु ३५ वर्ष
५- सम्प्रतबार्द फुली पीराजी बायु ३० वर्ष
समस्त निवासीगण नामदारपुरा उज्जैन म०प्र०

-- प्रतिप्रार्थी अनावेदकाण

न्यायालय अतिरिक्त बायुक्त समंग उज्जैन श्री सन० के० वैद्य
के प्रकरण क्रमांक ११८५-८६ निरानी मे पारित निर्णय
दिनांक २६-२-१९९१ से अस्तुष्ट होकर निरानी अन्तगत
घारा ५०, म० प्र० म० रा० सल्ला।

(Handwritten signature)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/12/17	<p>उभय पक्ष सूचित हो। शेष रिकार्ड भेजा जावे। CF- 21/03/18</p>	<p>शंशारी रंजना</p>
21.3.18	<p>उभय पक्ष सूचित हो। शेष रिकार्ड भेजा जावे। C-12 23/3/18 अभ्यास</p>	<p>शंशारी रंजना</p>
23/3/18	<p>आवेदक अमिकापक श्री लम. लक्ष्मण पाठक अभिभाषक। उनके द्वारा निवेदन किया कि वे प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अमिकापक द्वारा प्रवृत्त नहीं चलाने के अनुरोध पर प्रकरण समाप्त किया गया है।</p>	<p>अभ्यास रंजना</p> <p>23/3/18</p>

अभ्यास

अभ्यास